संख्या–पी–134 / 14–2–2017–800(49) / 2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 24 नवम्बर 2017

विषयः– सम्भल में मेरठ–बदायूं मार्ग (एस0एच0–18) के किमी0 142.600 से 162.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 23.28 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2230 वृक्षों तथा 44 पौधों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 52 / 2017 / एफसी / 74, दिनांक 14–8–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में उक्त आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 27–10–2017 द्वारा शासन को निम्नवत उपलब्ध कराया गया हैः–

Sr.No.	Observation of GOI	Reply/Modification
1	The signature of person authorized to make application on behalf of user Agency has not been authenticated in document uploaded at part-IA-3(xvii)	पार्ट–1 में पार्ट–1 ए–3(xvii) में श्री कर्मवीर सिंह, सहायक अभियन्ता को आवेदन हेतु नामित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)। फार्म–ए पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2	Geo referenced map uploaded at C-b (iv) in part-I of the proposal is without geo coordinates of key points.	जीयो कॉर्डिनेट मैप में अंकित 1 से 43 तक के कॉर्डिनेट को पुनः अपलोड कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव में पृष्ठ सं0–28 में अंकित है।
3	Certificate under FRA 2006 issued from DM Sambhal is without dispatch number,date and language does not include right issues of pre agricultural communities. The certificate	जिलाधिकारी सम्भल द्वारा जारी एफ0आर0ए0–2006 का प्रमाण पत्र पुनः पृष्ठांकन व दिनांक के साथ अपलोड कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–60 पर अंकित है।

	needs revision.	
4	Linear strip plan needs revision due to the fect that it does not show width of protected forest proposed for diversion on both side along with balanced remaining width chainage wise.	लीनीयर स्ट्रीप प्लान में चैनेज 142.600 से 162.000 तक मार्ग के दोनो ओर 6.00–6.00 मीटर संरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है, जोकि पृष्ठ सं0–32 पर अंकित है। अवषेष वन भूमि प्रायः सभी जगह शून्य क्षेत्रफल रहेगा।
5	Details of proposed forest land for diversion chainage wise along with remaining width of PF has not been submitted with the proposal.	उपरोक्तानुसार।
6	Gazette notification of forest land in hard copy is not legible.	गजट नोटिफिकेषन की साफ प्रति पृष्ठ सं0–58 व 59 पर संलग्न की गयी है।
7	Crown Density of the forest crop is under estimation as around 100 trees per ha. Is getting affected. The same needs revision.	पार्ट–2 में क्राउन डेनसिटी 0.2 के स्थान पर 0.3 कर दी गयी है। जो पृष्ठ सं0–21 पर अंकित है।
8	Proposed compensatory afforestation patch is located in flood plains of river and google overlay shows numerous agricultural patches, Suitability of such patch for CA shall be reconsidered.	प्रभागीय निदेषक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर ने अपने कार्यालय के पत्रांक–1171/14–1, बिजनौर, दिनांक 11.10.2017 से चांदपुर रेंज के दतियाना वन ब्लाक में 47.00 हे0 भूमि का चयन करते हुये, चयनित भूमि का चयन करते हुये, चयनित भूमि के डिजीटल डाटा मानचित्र, टोपोषीट, भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित पृष्ठ सं0–44 से 47 पर संलग्न है। इसे अपलोड भी कर दिया गया है। उक्त भूमि बिजनौर वन प्रभाग द्वारा अतिक्रमण कार्यो से अवमुक्त कराई गई है जिस हेतु गूगल मेंप पर कृषि भूमि जैसा प्रतीत हो रहा है। उक्त समस्त भूमि बिजनौर प्रभाग के अधीन है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 27–10–2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण कें सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–पी–134 (1)/14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।